रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112024-258548
CG-DL-E-08112024-258548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4480] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024/कार्तिक 17, 1946
No. 4480] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024/KARTIKA 17, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

का.आ. 4861(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.अ. 2486 (अ) तारीख 25.06.2024 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में धामरा - हल्दिया पाइप लाइन (डि एच पि एल)(जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर - हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना

अनुभाग - धामरा से हल्दिया

6(1) अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	खण्ड	गांव	जे. ऐल. न	नक्शा	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेअर -आर-वर्ग मीटर			क्षेत्रफल एकड़
1	2	3	4	5	6	7			8
पूर्व मेदिनीपुर	एगरा-१	बर्तना	12	आर एस	785/5160	00	00	15	0.0038
					592	00	00	40	0.0100
पूर्व मेदिनीपुर	नंदीग्राम-३	जलपाइ -२	110	आर एस	1533	00	01	20	0.0295
					1535	00	00	70	0.0172
					1536	00	02	53	0.0626
					1537	00	04	69	0.1160
					1538	00	02	91	0.0720
					1539	00	02	14	0.0528
					1249	00	01	17	0.0289
पूर्व मेदिनीपुर	भगवानपुर-२	नेलुयागोपा लचक	244	एल आर	274/1317	00	00	26	0.0064
					506/1359	00	00	09	0.0022
पूर्व मेदिनीपुर	भगवानपुर-२	माधाखाली	221	एल आर	2521/3039	00	02	53	0.0626
					2522/3042	00	01	92	0.0475
					2522/3040	00	02	37	0.0585

[फा. सं. एल-14014/ 143-2022-जीपी-II (ई-43434)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

S.O. 4861(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2486 (E) Dated 25.06.2024 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-

Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And, whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

DHAMRA TO HALDIA SECTION

6(1) LAND SCHEDULE

STATE – WEST BENGAL

District	Block	Village	J.L. No.	Map	Survey No.	Area			
						Hect	Are	Sq.mt.	Acre
1	2	3	4	5	6	7			8
PURBA MEDINIPUR	EGRA-1	BARTANA	12	RS	785/5160	00	00	15	0.0038
					592	00	00	40	0.0100
PURBA MEDINIPUR	CHANDIPUR	JALPAI-II	110	RS	1533	00	01	20	0.0295
					1535	00	00	70	0.0172
					1536	00	02	53	0.0626
					1537	00	04	69	0.1160
					1538	00	02	91	0.0720
					1539	00	02	14	0.0528
					1249	00	01	17	0.0289
PURBA MEDINIPUR	BHAGWANPUR-2	NELUAGOPALCHAK	244	LR	274/1317	00	00	26	0.0064
					506/1359	00	00	09	0.0022
PURBA MEDINIPUR	BHAGWANPUR-2	MADHAKHALI	221	LR	2521/3039	00	02	53	0.0626
					2522/3042	00	01	92	0.0475
					2522/3040	00	02	37	0.0585

[F. No. L-14014/ 143 /2022-GP-II (E-43434)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA